राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी

2622. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय रहस्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत दिसम्बर, 1964 में पुलिस ने बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके विरुद्ध कोई प्रमाण उपलब्ध न होने के कारण उन्हें एक बार 11 मार्च, 1965 को छोड़ दिया गया था तथा उसके तुरन्त पश्चात् भारतीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत पुनः नजरबन्द कर लिया गया था और वे अभी तक जेल में है;

(ग) क्या सरकार ने उनके अपराध तथा उसके लिये दी ज ने वाली सजा के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां। दिसम्बर 1964 और जनवरी, 1965 के दौरान विभिन्न तिथियों पर भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत अनेक कर्मचारी गिरफ्तार किये गए थे।

(ख) और (ग) उनमें से दो पर मुकदमा चलाया गया और 10 वर्ष तक की कैद की सजा दी गई और और शेष को भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया ताकि वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में भाग न ले सकें।

(घ) भारत सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी जारी रखने के प्रश्न पर उनके मामलों पर समय-समय पर पुनर्विचार के पश्चात निर्णय किया जाता है। [सलंग्न विवरण पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या—7534/66]

रीजनल कालेज आफ एजुकेशन, अजमेर

2623. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामसेवक यादव :
श्री मधु लिमये :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रीजनल कालेज आफ एजूकेशन, अजमेर में हर छात्र पर औसतन कितना मासिक व्यय किया जा रहा है ;

(ख) इन छात्रों को कौन सी डिग्री दी जाती है ; और

(ग) इन स्नातकों का कैसे उपयोग किया जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन्): (क) 1963—66 के दौरान छात्रवृत्तियों के अलावा प्रत्येक व्यक्ति पर शुद्ध औसतन खर्च 126 रुपये मासिक था और छात्रवृत्तियों के साथ 209 रुपये मासिक था।

(ख) ये डिग्रियां दी जाती हैं : विज्ञान, कृषि, वाणिज्य और गृह-विज्ञान में बी० एड०; विज्ञान शिक्षा में बी० एस० सी० तथा टेक्नोलोजी शिक्षा में बी० टेक० और औद्योगिक शिल्पों में डिप्लोमा।

(ग) स्नातकों और डिप्लोमाधारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।